



D — जिला प्रशासन, कल्याण एवं भागीदारी

# शहरी स्थानीय निकाय / नगर पालिका

## यह संस्थान क्या है

शहरी स्थानीय निकाय (ULB) कस्बों एवं शहरों की नगरपालिका सरकार है। जनसंख्या के आधार पर यह नगर पंचायत (छोटा कस्बा), नगर पालिका / नगर परिषद (मध्यम कस्बा), अथवा नगर निगम (बड़ा शहर) हो सकती है। यह नागरिक सेवाएँ — पानी, स्वच्छता, सड़कें, सड़क बतियाँ — प्रदान करती है तथा व्यापार लाइसेंस, विक्रेता परमिट, एवं D-JAY(S) जैसी शहरी आजीविका योजनाओं का प्रशासन करती है। यदि आप किसी कस्बे में रहते हैं, तो ULB ही वह कार्यालय है जहाँ नागरिक शिकायतें, व्यवसाय परमिट तथा शहरी कल्याण कार्यक्रम संभाले जाते हैं।

### यह आपके लिए क्यों मायने रखता है

यदि आप व्यवसाय शुरू करने हेतु व्यापार लाइसेंस चाहते हैं, विक्रेता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, पीएम-स्वनिधि (PM-SVANidhi) ऋण तक पहुँच चाहते हैं, अथवा पानी, स्वच्छता या सड़कों के बारे में नागरिक शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो यही वह कार्यालय है जो इसे संभालता है।

## प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
74वाँ संविधान संशोधन	शहरी स्थानीय निकायों एवं उनके कार्यों की स्थापना
नगर निगम / नगर पालिका अधिनियम (राज्य-विशिष्ट)	ULB शासन के लिए राज्य-विशिष्ट नियम
आदर्श नगरपालिका कानून, 2003	MoUD (अब MoHUA) द्वारा जारी आदर्श विधेयक — राज्यों के लिए अपने नगरपालिका अधिनियमों को 74वें संशोधन के अनुरूप बनाने हेतु
URDPFI दिशानिर्देश, 2014	ULB द्वारा मास्टर प्लान / विकास योजनाएँ तैयार करने के लिए MoHUA के तकनीकी नियोजन मानक (शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण एवं क्रियान्वयन)
पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम (एसवीए), 2014	विक्रेता आजीविका का संरक्षण; विक्रय क्षेत्रों एवं पहचान-पत्रों को अनिवार्य करता है
D-JAY(S) दिशानिर्देश (MoHUA)	नगरपालिका निकायों के माध्यम से शहरी आजीविका सहायता
AMRUT / AMRUT 2.0 दिशानिर्देश	शहरी जल एवं सीवरेज अवसंरचना

- **केंद्र:** आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) — योजना दिशानिर्देश एवं वित्त-पोषण। MoHUA का राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (फरवरी 2021 में MeitY के साथ शुरू) ULB ई-शासन के लिए केंद्रीय डिजिटल ढाँचा प्रदान करता है, तथा अधिकांश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ NUDM/UPYOG को अपनाने हेतु MoU हस्ताक्षरित हैं; UPYOG (Urban Platform for deliverY of Online Governance) वह ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जिस पर अनेक राज्य व्यापार लाइसेंस, संपत्ति कर, जल/सीवरेज कनेक्शन, भवन-योजना अनुमोदन तथा शिकायत निवारण के लिए स्थानांतरित हो रहे हैं।
- **राज्य:** राज्य शहरी विकास विभाग
- **शहर/कस्बा:** ULB का नेतृत्व निर्वाचित महापौर/अध्यक्ष करते हैं; कार्यपालक शक्ति नगर आयुक्त (निगमों में) अथवा कार्यकारी अधिकारी (छोटी नगरपालिकाओं में) के पास होती है
- **वार्ड:** निर्वाचित वार्ड पार्षद व्यक्तिगत वार्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं
- **वित्त-पोषण:** स्वयं का राजस्व (संपत्ति कर, शुल्क) + राज्य अनुदान + 16वाँ वित्त आयोग अनुदान (2026-31: ULB अनुदान 3.56 लाख करोड़ रुपये, 80% मूल / 20% निष्पादन में विभाजित, साथ ही विशेष अवसंरचना अनुदान तथा पेरी-शहरी एकीकरण के लिए शहरीकरण प्रीमियम अनुदान) + केंद्रीय योजना निधियाँ



## प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
कार्यकारी अधिकारी / नगर आयुक्त	प्रशासनिक प्रमुख – दैनिक संचालन
वार्ड पार्षद	वार्ड के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि – स्थानीय मामलों के लिए सबसे सुलभ राजनेता
सिटी मिशन प्रबंधक / NULM प्रकोष्ठ	विरासत DAY-NULM मिशन ने 30 सितंबर 2024 को रिपोर्टिंग समाप्त की। उत्तराधिकारी योजना – दीनदयाल जन आजीविका योजना, शहरी (D-JAY(S)) – शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए 25 शहरों में पायलट पर है (अक्टूबर 2024 से) तथा देशव्यापी विस्तार प्रस्तावित है। जहाँ सक्रिय है, यह प्रकोष्ठ SHG, कौशल प्रशिक्षण, पथ विक्रेता योजनाएँ, तथा शहरी बेघरों के लिए आश्रय सँभालता है
व्यापार लाइसेंस / राजस्व अनुभाग	व्यवसाय परमिट एवं संपत्ति कर
नगर वेंडिंग समिति (TVC)	एसवीए के अन्तर्गत वेंडिंग क्षेत्रों का निर्णय करती है तथा विक्रेता पहचान-पत्र जारी करती है

## अनिवार्य सेवाएँ

- नागरिक सेवाएँ प्रदान करना: जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क बत्ती, सड़कें, जल-निकासी
- एसवीए के अन्तर्गत व्यवसायों के लिए व्यापार लाइसेंस तथा विक्रेता प्रमाण पत्र जारी करना
- पीएम-स्वनिधि का प्रशासन: पथ विक्रेताओं हेतु कार्यशील पूँजी ऋण (50,000 रुपये तक); ULB (अथवा जहाँ लागू हो वहाँ TVC) आवेदन के 15 दिनों के भीतर वेंडिंग प्रमाण पत्र / ID कार्ड / अनुशंसा पत्र जारी करते हैं; आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में ULB-स्तरीय निगरानी समिति का गठन करते हैं; विक्रेता सतत मार्गदर्शन के लिए संसाधन व्यक्ति नियुक्त करते हैं
- D-JAY(S) का क्रियान्वयन: स्व-रोजगार प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूह (SHG) निर्माण, बेघरों के लिए आश्रय, कौशल प्रशिक्षण
- भवन अनुमतियों एवं नगर नियोजन आवेदनों का प्रसंस्करण
- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

## संबंधित योजनाएँ

- **D-JAY(S) (दीनदयाल जन आजीविका योजना, शहरी)** – DAY-NULM की उत्तराधिकारी शहरी आजीविका योजना। 25 विविध शहरों में पायलट (अक्टूबर 2024 लॉन्च; ~180 करोड़ रुपये परिव्यय), छह संवेदनशील व्यावसायिक समूहों (निर्माण, धरेलू, देखभाल, परिवहन, अपशिष्ट, गिग कर्मकार) पर केंद्रित, SHG, कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन तथा सामाजिक-अवसंरचना सहायता के माध्यम से। देशव्यापी रोल-आउट प्रस्तावित है परंतु अभी संचालनात्मक नहीं
- **पीएम-स्वनिधि** – पथ विक्रेताओं हेतु कार्यशील पूँजी ऋण (15,000 / 25,000 / 50,000 रुपये)
- **AMRUT / AMRUT 2.0** – चयनित शहरों के लिए शहरी जल एवं सीवरेज अवसंरचना
- **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)** – स्वच्छता अवसंरचना एवं अपशिष्ट प्रबंधन
- **शहरी चैलेंज फंड (UCF)** – टियर-2 तथा टियर-3 शहरों में परिवर्तनकारी परियोजनाओं के लिए MoHUA की मिश्रित-वित्त योजना (1 लाख करोड़ रुपये, 2025-26 से 2030-31 तक); केंद्रीय सहायता बाजार ऋण एवं ऋण गारंटी के साथ उत्प्रेरक पूँजी के रूप में कार्य करती है
- **16वाँ वित्त आयोग अनुदान (2026-31)** – संपत्ति कर संग्रह एवं प्रकाशित खातों पर सशर्त आबद्ध एवं अनाबद्ध अनुदान

## पता कैसे लगाएँ

**पोर्टल:** विक्रेता ऋण डेटा हेतु [pmsvanidhi.mohua.gov.in](https://pmsvanidhi.mohua.gov.in); शहर/कस्बा-वार NULM स्थिति हेतु [nulm.gov.in](https://nulm.gov.in); [cityfinance.in](https://cityfinance.in) (MoHUA) – ULB-स्तरीय लेखा-परीक्षित वार्षिक खाते, बजट, वित्तीय-निष्पादन डैशबोर्ड, तथा 4,000+ ULB को कवर करने वाली वित्त आयोग अनुदान प्रबंधन प्रणाली के लिए

**इसके अतिरिक्त:** "[कस्बे का नाम] नगर पालिका" अथवा "नगर निगम" खोजें – नगरपालिका कार्यालय सामान्यतः मुख्य बाजार अथवा बस स्टैंड के निकट होता है



## प्रमुख सुविधाएँ

एक नगरपालिका कार्यालय में होने चाहिए: व्यापार लाइसेंस एवं प्रमाण पत्रों के लिए क्रियाशील नागरिक सेवा काउंटर, NULM प्रकोष्ठ (जहाँ योजना सक्रिय है), तथा उपलब्ध सेवाओं के बारे में सुलभ सूचना। पीएम-स्वनिधि के लिए, ULB में विक्रेता पहचान एवं ऋण सुविधा हेतु एक डेस्क अथवा प्रक्रिया होनी चाहिए।

## एक क्रियाशील ULB कैसा दिखता है

- पीएम-स्वनिधि क्रियान्वित हो रही है — एक पथ विक्रेता यहाँ ऋण संसाधित करवा सकता है
- एक NULM प्रकोष्ठ अस्तित्व में है तथा वर्तमान वर्ष में SHG निर्माण अथवा कौशल प्रशिक्षण के साक्ष्य उपलब्ध हैं
- एक युवा व्यक्ति बिना अनेक आगमनों के व्यापार लाइसेंस प्राप्त कर सकता है
- नगर वेंडिंग समिति का गठन हो चुका है तथा पथ विक्रेता अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हैं
- नागरिक सेवाएँ (जन्म प्रमाण पत्र, व्यापार लाइसेंस) ऑनलाइन अथवा स्पष्ट एकल-खिड़की प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध हैं
- नागरिक शिकायतें हेल्पलाइन, ऐप अथवा व्यक्तिगत काउंटर के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती हैं

## शिकायत निवारण

**सेवा वितरण के दौरान।** पहला संपर्क बिंदु नगर आयुक्त / कार्यकारी अधिकारी / मुख्य अधिकारी हैं। वार्ड-स्तरीय मामलों के लिए निर्वाचित पार्षद समानांतर अग्रिम-पंक्ति होते हैं। वार्ड-सभा बैठकें सार्वजनिक शिकायत हेतु एक वैधानिक मंच हैं।

**सेवा के बाद।** आगे की कार्यवाही राज्य शहरी विकास निदेशालय तथा जिला कलेक्टर तक होती है। राज्य लोक सेवा का अधिकार अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य-विशिष्ट शहरी-सेवा गारंटियों के लिए, अपीलें नामित अपीलीय अधिकारी के पास जाती हैं।

**बाहरी।** केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली CPGRAMS ([pgportal.gov.in](http://pgportal.gov.in)) MoHUA की शिकायतें संभालती है। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी की शिकायतें [sbmurban.org](http://sbmurban.org) पर जाती हैं। AMRUT तथा स्मार्ट सिटी की शिकायतें संबंधित राष्ट्रीय मिशन डैशबोर्डों के माध्यम से मार्ग प्राप्त करती हैं। संपत्ति-कर विवादों के लिए, राज्य नगरपालिका न्यायाधिकरण (जहाँ गठित है) मंच है। राज्य शहरी स्थानीय निकाय लोकपाल (उन राज्यों में जिन्होंने इसे सृजित किया है) वैधानिक उच्चस्तरीय कार्यवाही है।

—